

शनिवार

27 मई, 2023

डिजिटल संस्करण



कलावती लॉज में लंबे समय से चल रहा था गंदा खेल, जेल मेजे गए सभी आरोपी 3

प्रमुख खबरें : पटना ■ भोजपुर ■ बक्सर ■ रोहतास ■ पूर्वांचल ■ मिथिलांचल ■ विविध ■ खेल ■ आर्थिक

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राष्ट्रपति से नई संसद के उद्घाटन की मांग वाली याचिका मधेपुरा में मुखिया की गोली मारकर हत्या, सड़क जाम

- सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी- कहा हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई, ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं
- जजों ने कहा- क्यों न ऐसी याचिका को दर्जाना लगाते खारिज करना चाहिए



सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दायर की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ऐसे में संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।

कौन पक्ष में और कौन है विरोध में

नए संसद भवन पर केंद्र सरकार के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) मिलाकर 25 दल हैं। वहीं, उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम से कई दलों ने किनारा कर लिया है। बसपा, जद-एस और तेलुगु देशम ने बृहस्पतिवार को समारोह में शामिल होने का एलान किया। उन्होंने कहा, यह जनहित का मुद्दा है, इसका बहिष्कार करना गलत है। एनडीए में भाजपा समेत 18 दलों के अलावा विपक्षी खेमे के सात दलों ने उद्घाटन समारोह में शिरकत करने की रजामंदी दी है।



केटी न्यूज/पटना

बिहार के मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दीनापट्टी सखुआ पंचायत के वर्तमान मुखिया की दिनदहाड़े गोली मार कर दी गई। मुखिया की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश काफी बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने शव को तिलकोरा नहर से उठाकर एनएच 107 पर रख कर घंटों सड़क जाम रखी। इस दौरान लोगों ने दीनापट्टी हॉल्ट पर सहरसा से कोलकाता जा रही हाटे बाजरे एक्सप्रेस को भी रोक दिया। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे मुखिया दिलीप कुमार को बुलाने दो लोग आए। खाना खाने के बाद वह उनके साथ अपनी बाइक से निकल गए। इसी बीच तिलकोड़ा-सखुआ पुल के बीच नहर पर बेखौफ अपराधियों ने ताबडतोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दिलीप कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुन जब ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े, तब बाइक सवार दो अपराधी हथियार लहराते भागते दिखे।

हाजीपुर में व्यवसायी को गोलियों से किया छलनी

पटना। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार की रात एक दूध व्यवसायी को गोलियों से छलनी कर दिया। बाइक से दो की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दूध व्यवसायी को एक-एक कर पांच गोली मारी। मौके पर ही दूध व्यवसायी की मौत हो गई। घटना बरांटी ओपी के इस्माइलपुर चौक के समीप की है। रात के करीब 11 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया गया है। दूध व्यवसायी की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र निवासी बैद्यनाथ राय के रूप में की गई है। वह अपने घर से बाइक पर दूध लेकर हाजीपुर के होटल में बेचने के लिए निकल थे, लेकिन रास्ते में ही घेर कर गोली मार दी गई। बदमाशों ने रात का फायदा उठाया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर जूरांफ अरुण कुमार ने बताया कि बरांटी ओपी में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। उसे सदर अस्पताल लाया गया। यहां मौत की पुष्टि के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

खबरें फटाफट

पटना में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़

पटना। पटना के गौरीचक में शुक्रवार को मुंगेर और पटना पुलिस के संयुक्त छापेमारी अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गौरीचक थाना क्षेत्र के पियरिया गांव से दीपक सिंह के मकान में सालों से चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मिनी गन बनाते मुंगेर के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में बंदूक बनाने के औजार और कच्चा माल भी जब्त किया है। ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पियरिया गांव में दीपक सिंह के मकान में सालों से मिनी गन बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने इसके लिए एक टीम का गठन कर छापेमारी की। इस मामले में मुंगेर निवासी मोहम्मद अहसान (35) और मोहम्मद बुनना (30) को गिरफ्तार किया गया है।

महिला अधिकारी को सरकार ने किया दंडित

कैमूर। बिहार प्रशासनिक सेवा के एक महिला अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है। सीबीआई की रिपोर्ट पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्वेता मिश्रा को सरकार ने निंदन के साथ-साथ 2 वेतन वृद्धि असंव्यात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। दरअसल, श्वेता मिश्रा कैमूर में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर तैनात थी। शेक्टर होम में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने जांच की थी। उन पर आरोप है कि अल्पावस गृह का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं की।

योगी सरकार ने पीडीएस दुकानों की आमदनी बढ़ाने का लिया फैसला

यूपी में अब उचित दर की दुकानों पर मिलेगा बेकरी व सौंदर्य उत्पाद

- अब सरकारी राशन की दुकानों पर दूध, पाउडर, साबुन, मिठाई और बेबी केयर उत्पाद समेत 35 दूसरे सामान मिलेंगे
- खाद्य और रसद विभाग ने इसके लिए जारी किया आदेश



एजेंसी/लखनऊ

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है, जिसमें बेकरी उत्पाद, घरेलू सामान, सौंदर्य और बेबी केयर उत्पाद शामिल हैं। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएसएसएआई के मानकों के मुताबिक हुआ हो। ये वस्तुएं केवल उन उचित दर की दुकानों पर बेची जाएंगी, जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थापित हों, जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सकता है।

समिति का होगा गठन: इसके लिए खाद्य आयुक्त के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति अनुमत्य वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकने के लिए अधिकृत होगी।

जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं भी मिलेंगी: आदेश के मुताबिक सरकारी राशन की दुकानों में गेहूं, चावल, दाल, अटा, चीनी, खाद्य तेल, मिठ्ठी का

तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, चाय, पेन, कॉपी, ओआरएस टैबलेट एवं घोल, निरोध, सैनेटरी नैपकीन आदि के विक्रय करने की अनुमति वर्ष 2019 में प्रदान की गई थी। इसी शासनादेश के तहत अब कुछ और वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इन वस्तुओं में दूध एवं दूध से बने पैकड उत्पाद, बिरिच, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंधी, दर्पण, झाड़ू, पोछा, ताला, छाता, रैनकोट, वॉल हैमर, टूथब्रश, डिज्जेंट पाउडर, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बाल, विद्युत का सामान, टार्च, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन एवं जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी, मग, छलनी, हैंडबॉश, वाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन) आदि को शामिल किया गया है।

यूपी में भर्ती परीक्षाओं में निरीक्षक तैनाती की व्यवस्था बदली

लखनऊ। योगी सरकार ने लोकसेवा आयोग की होने वाली भर्ती परीक्षाओं में निरीक्षक तैनात करने की व्यवस्था बदल दी है। केंद्रों पर 50 फीसदी आंतरिक और 50 फीसदी बाहरी निरीक्षक तैनात होंगे। पहले यह अनिवार्यता नहीं थी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। पालीवाल कमेटी की संसुलियों के आधार पर केंद्र बनाने की व्यवस्था की गई है। डीएम व डीआईओएस द्वारा साफ छवि वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों का चयन करते हुए केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र बनाते समय 11 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्रों को ए, बी व सी में वर्गीकृत किया जाएगा।

सरकारी स्कूल, सरकारी पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड आईसीएससी बोर्ड के स्कूलों को केंद्र बनाया जाएगा। डीएम व डीआईओएस द्वारा केंद्र व्यवस्थापक और निरीक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। इसमें केंद्र पर उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व काम में अनुभवी शिक्षक को सह केंद्र व्यवस्थापक बनाया जाएगा। आंतरिक और बाहरी निरीक्षकों को भी सूची तैयार की जाएगी। किसी निरीक्षक के न आने पर दूसरे को तैनात किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा। उन्हें निर्धारित समय पर केंद्रों पर पहुंचना होगा। उनकी देखरेख में नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं की पैकिंग उनकी देखरेख में की जाएगी। पैकेट पर केंद्र पर्यवेक्षक के साथ उनके भी हस्ताक्षर होंगे। शीट पैकेट को तय पोस्ट ऑफिस तक केंद्र पर्यवेक्षक के साथ पहुंचाने के बाद इट्यूटी समाप्त मानी जाएगी।

बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को किया लचीला

ट्रेंड अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में 10 साल की छूट

केटी न्यूज/पटना

बिहार सरकार की नई शिक्षक नियमावली 2023 में अब बीपीएससी की परीक्षा अनिवार्य है। लेकिन इसी बीच शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। बीपीएससी की परीक्षा देकर स्कूल टीचर बनने की चाह रखने वाले नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी ज्यवादा उम्र को लेकर बेआस नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को लचीला कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल टीचरों की नई नियमावली के लागू होने से पहले बदलाव किया गया है। इसके तहत ट्रेंड अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में 10 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके बारे में शिक्षा



इस साल अगस्त में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत होने वाली परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा का कैलेंडर बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। कैलेंडर के अनुसार इसी वर्ष 2023 के अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। 19, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। शिक्षक भर्ती में कुल 1,70,461 पदों के लिए बहाली होगी। इसमें 79,943 प्राथमिक शिक्षक, 32,916 पदों पर माध्यमिक शिक्षक और 57,602 पदों पर हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षक बहाल किए जाएंगे।

विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में बताया गया कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त और काम कर रहे टीचरों को अधिकतम उम्र सीमा में पूरी छूट जी जाएगी। मसला ये था कि ज्यादातर नियोजित शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा

खत्म हो गई है। इसलिए नीतीश सरकार ने अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करने का फैसला किया है। अधिसूचना के अनुसार टीचर की नियुक्ति के लिए आवेदन करने जा रहे वो ट्रेंड अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार राज्य शिक्षक नियमावली 2023 के प्रभाव होने के पहले पात्रता परीक्षा पास की है, उन्हें नियमावली के लागू होने के बाद

नियुक्ति काउंसलिंग के दौरान अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। ये छूट एक अगस्त, 2023 को आधार मानकर दी जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग इसी महीने 1.70 लाख स्कूल टीचरों की वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी करने वाला है। खास बात ये है कि इस परीक्षा में नियोजित शिक्षकों के लिए भी मौका है।

विश्वामित्र हॉस्पिटल

गोलम्बर, बक्सर

लेप्टोस्कोपिक एवं जेनरल सर्जरी

विश्वामित्र हॉस्पिटल

गोलम्बर बक्सर में डा. यूके सिंह व डा. आर के झा के टीम के द्वारा दूरबीन विधी से प्रोस्टेट, जीबी स्टोन, किडनी स्टोन, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी, बवासीर, पेट में ग्रांट या ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर आदि का सफल ऑपरेशन होगा। अतः अनुरोध है कि दूरबीन विधी द्वारा जरूरतमंद मरीजों को विश्वामित्र हॉस्पिटल गोलम्बर बक्सर स्थित मेजने में आप सब सहयोग करें।

राजीव कुमार झा

विश्वामित्र हॉस्पिटल
गोलम्बर, बक्सर

मो. : 9122950441



महात्मा गांधी

जो भी चाहे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, वह सबके भीतर।

खबरें फटाफट

टीन का शेड हटाने के दौरान करंट लगने से अघेड़ की मौत

सिमरी। सिमरी थाना क्षेत्र के गामघाट गांव में करंट की चोट में आने से एक अघेड़ की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह आठ बजे की है। जानकारी के अनुसार गामघाट निवासी अघेड़ अक्षय गौड़ अपने घर में लगे टीन के पुराने शेड की मरम्मत के लिए उसा उतार रहा था। इसी दौरान शेड में करंट प्रवाहित हो गया। घरवाले जबतक कुछ समझ पाते तबतक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में किसी तरह उसे उतार अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके मौत की पुष्टि होते ही परिजनों में क्रंदन चित्कार मच गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। घर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। परिजनों के क्रंदन चित्कार से गांव का महील गमगीन हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सोप दिया है।

बाइक के धक्के से अघेड़ जख्मी, अस्पताल में भर्ती

केसट। केसट पुराना बाजार मोड़ के पास तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार ने शुक्रवार को एक 70 वर्षीय अघेड़ को टक्कर मार दिया। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में उनके एक पैर की हड्डी टूट गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दिया। सूचना मिलते ही तत्काल एंबुलेंस अस्पताल प्रबंधन द्वारा एंबुलेंस भेजा गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल रफर कर दिया गया। घायल की पहचान केसट के लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है। दुर्घटना को अंजाम दे बाइक चालक फरार हो गया। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

सीओ ने नर्तकी के साथ दुर्व्यवहार होते देख पुलिस को दी सूचना

केटी न्यूज/दुमरांव

दुमरांव सीओ अंकिता सिंह का मानवीय चेहरा शुक्रवार को देखने को मिला। हुआ चूंकि कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के ढकाइच गांव के पास नाच मंडली की नर्तकी बक्सर जा रही थी, इसी बीच नवादेश के पास संचालक उससे दुर्व्यवहार करने लगा। संयोग से उसी दौरान दुमरांव सीओ उधर से गुजर रही थी। उन्होंने महिला से दुर्व्यवहार होता देख अपनी गाड़ी रूकवाई तो आरोपी भगने लगे। इसके बाद वह नया भोजपुर ओपी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर्तकी को अपने साथ लेकर थाने आई। जानकारी के अनुसार ढकाइच में सन्नी डांस पार्टी में मुजफ्फरपुर जीरो माइल की चांदनी कुमारी नामक युवती नर्तकी के रूप में शामिल है।

उसने आरोप लगाया कि डांस मंडली के संचालक के ऊपर 38 हजार रुपये बकाया है। संचालक द्वारा पैसा देने में आनाकानी करते जाने के बाद नर्तकी अपने घर जाने के लिए बक्सर की ओर निकली थी। इसकी जानकारी मिलते ही संचालक पीछा कर नावाडेरा गांव के समीप नर्तकी का रास्ता रोक दुर्व्यवहार करने लगा। शोरगुल सुनकर ग्रामीणों की भीड़ लग गयी। इसी दौरान दुमरांव सीओ अंकिता सिंह रास्ते से गुजर रही थी। महिला के साथ दुर्व्यवहार को देख इसकी सूचना ओपी पुलिस को दी। नर्तकी ने पुलिस को बताया कि ढकाइच गांव के रहने वाले सन्नी यादव डांस पार्टी का संचालक है, जिसके ऊपर 38 हजार रुपये बकाया है बावजूद वह आर्थिक शोषण के फिराक में लगा रहता है।



एसएसआई स्वाति कुमारी को इस समिति में रखा गया है।

एसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित में बताया

गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक व कल्याण विभाग द्वारा कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के तहत उन सभी कार्यालयों या

समिति की रिपोर्ट पर ही होगी कार्रवाई

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि यह समिति लैंगिक उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के मिलने के बाद उसकी अपने स्तर से जांच कर उसकी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट पर ही आरोपी पर कार्रवाई तय की जाएगी। समिति के पुनर्गठन के बाद सभी पदाधिकारियों ने कहा कि इस समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से महिला कर्मियों के साथ हुए उत्पीड़न मामले की जांच की जाएगी। वहीं समिति द्वारा किसी भी कार्यस्थल पर महिला कर्मियों के साथ हुए लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 181 जारी किया गया है। इस नंबर पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करनी शिकायत दर्ज कर सकती है। जिसकी जांच समिति द्वारा की जाएगी।

गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक व कल्याण विभाग द्वारा कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के तहत उन सभी कार्यालयों या

संस्थाओं में आंतरिक सुरक्षा समिति का गठन किया गया है जहां दस या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत है। हाल ही में जिले के कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हो

चुका है। जिस कारण पूर्व की समिति में शामिल पुलिस पदाधिकारी दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो गए हैं। इस कारण समिति का पुनर्गठन किया गया है।

बच्चों के अधिकारों व उनके पुनर्वास के लिए संवेदनशीलता से कार्य करे पुलिस

- ◆ कृषि कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में जूबेनाइल जस्टिस एक्ट की दी गई जानकारी
- ◆ बचपन बचाओ आंदोलन के तत्वावधान में हुई कार्यशाला

केटी न्यूज/दुमरांव

स्थानीय वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को किशोर न्याय वालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में जिलास्तरीय थानों के सभी थानाध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग और बाल



श्रम विभाग आदि को प्रशिक्षण दिया गया। बचपन बचाओ आंदोलन समेत अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा बच्चों के मामले में

पालन की जाने वाली प्रक्रिया पुलिस रिस्पांस, व्यवहार आदि के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक करते हुए उसके देखभाल

और सुरक्षा के हर कानूनी दंब-पेंच से अवगत कराया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ बचपन बचाओ आंदोलन बिहार-झारखंड राज्य के संयोजक मोरवतारूल हक और डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी ने किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षक सुनील झा ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बच्चों के प्रकरण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया पुलिस रिस्पांस, व्यवहार आदि के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता प्रदान करना जरूरी है। बच्चों के संरक्षण के लिए काम कर रहे

बाल कल्याण समिति, विभिन्न एनजीओ, पुलिस, चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई को अधिनियम का पालन करने का विधान है। कानून से संघर्ष में आये हुए बालक, देखरेख एवं संरक्षण के जल्दतम बालक, बाल श्रमिक, लैंगिक अपराध के मामले, बाल विवाह के मामले और बाल दुव्यापार के मामले में सभी विभागों के सहयोग व समन्वय की आवश्यकता है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस बच्चों के अधिकारों एवं उनके पुनर्वास हेतु संवेदनशीलता के साथ सजग होकर कार्य करें। साथ ही बच्चों के प्रकरणों की और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं, अपराधों एवं उसमें हुए नवीन

संशोधनों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बचपन बचाओ आंदोलन के जिला संयोजक प्रदीप शरण ने कहा कि बड़े पैमाने पर नाच मंडली में किशोरियों की उपस्थिति देखी गयी है। इसे पुलिस-प्रशासन को अवगत कराया और व्यवहारिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर उनके अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूक होने की बात कही।

मौके पर पप्पू दास, दुमरांव थानाध्यक्ष बिदेश्वर राम, नया भोजपुर अंगो थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, कृष्णाब्रह्म संतोष कुमार, रंजीत कुमार, राजीव रंजन राय सहित अन्य थानाध्यक्ष और विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

लॉज में सेक्स रैकेट संचालित होने की पुष्टि, पूर्व वार्ड पार्षद है लॉज संचालक

कलावती लॉज में लंबे समय से चल रहा था गंदरा खेल, जेल भेजे गए सभी आरोपी

केटी न्यूज/दुमरांव

दुमरांव के कलावती लॉज में सेक्स रैकेट संचालित होने की पुष्टि हो गई है। दुमरांव एसडीपीओ मो अफाक अंसारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लॉज संचालक द्वारा अवैध तरीके से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बता दें कि गुरुवार को पुलिस की छापेमारी में होटल से तीन जोड़े आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ाए थे। पुलिस ने तत्काल होटल संचालक पूर्व वार्ड पार्षद विजय चौधरी, उनके पुत्र अनुराग चौधरी उर्फ बबू तथा एक कर्मी योगेन्द्र कुमार को हिरासत में ले लिया था। देर शाम आवश्यक पूछताछ के बाद जहां तीनों युवतियों को बांड भरवा उनके अभिभावकों को सुपुर्द कर दिया गया है वहीं तीनों युवकों के साथ ही होटल संचालक, उसके पुत्र और होटलकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा होटल संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने, अवैध तरीके से कमरा आवंटित करने समेत कई अन्य आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब इस होटल द्वारा कमरा देने की प्रक्रिया की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि होटल संचालक द्वारा नियमों को ताक पर रख कमरा आवंटित किया जाता था। जिससे आसानी से कोई भी बिना आईडी के भी कमरा ले सकता था। जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी गंभीर विषय है।



छापेमारी के दौरान मिले थे सिर्फ तीन आईडी

पुलिस ने जिस वक्त होटल में छापेमारी की उस वक्त होटल के तीन कमरों से तीन जोड़े आपत्ति जनक अवस्था में मिले थे। पुलिस ने जब होटल के रजिस्टर तथा कमरा लेने वालों द्वारा दी गई आईडी की मांग संचालक से की तो संचालक द्वारा सिर्फ तीन आईडी ही दिया गया जबकि तीनों युवतियों की आईडी भी होटल संचालक के पास नहीं थी। छह के बजाय सिर्फ तीन आईडी मिलने के बाद ही पुलिस सभी को

हिरासत में लेकर थाने लाई। बताया जाता है कि यदि होटल संचालक द्वारा नियमों का पालन करते हुए कमरों का आवंटन किया गया होता तो पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं लेती।

जल्द सील होगा लॉज, मांगी गई है अनुमति

वहीं एसडीओ कुमार पंकज ने बताया कि कलावती लॉज में अनैतिक तरीके से प्रेमी प्रेमिकाओं को रूम आवंटित करने की पुष्टि होने के बाद इस होटल को सील करने के लिए वीर्य पदाधिकारियों को प्रतिवेदन दिया गया है। अनुमति मिलने के बाद होटल को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा शहर में संचालित होटलों की जांच की जाएगी।

इन लोगों की हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार पुलिस ने होटल में अनैतिक तरीके से महिलाओं को लालच दे अवैध संबंध बनाने के आरोप में बगेनगोला थाना क्षेत्र के पोखरहा गांव निवासी कशीनाथ साह के पुत्र विवेक कुमार, कोरानसराय थाना क्षेत्र के मठिला निवासी श्रीभगवान यादव के पुत्र बिरेंद्र यादव, गुरार थाना क्षेत्र के फफरद गांव निवासी अवधनारायण राम के पुत्र संतोष राम, होटल संचालक विजय चौधरी, अनुराग चौधरी तथा कर्मी योगेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनपर भादवि के धारा 419, 420, 376

तथा अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3/4/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है।

अवैध तरीके से जुआ खेलाने का भी लगता रहा है आरोप

जिस कलावती लॉज में गुरुवार को सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। उसके संचालक पर लंबे समय से सेक्स रैकेट के संचालन के साथ ही अवैध तरीके से जुआ का अड्डा संचालित करने का आरोप भी लगते रहा है। बावजूद स्थानीय पुलिस ने कभी भी गहराई से इसकी जांच नहीं की। जिस कारण उसका मनोबल बढ़ते गया। जानकारों का कहना है कि अवैध कमाई के जरिए ही उसने होटल के विशाल भवन का निर्माण भी कराया है। सूत्रों की मानें तो वर्षों से हो रही शिकायतों के बावजूद मैनेज के खेल में स्थानीय पुलिस मौन साधे हुए थी। वहीं नये एसडीपीओ ने इस पर से पर्दा उठा दिया है।

क्या कहते हैं एसडीपीओ

इस संबंध में दुमरांव एसडीपीओ अफाक अंसारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया सेक्स रैकेट के संचालन की जानकारी मिली है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। संचालक समेत छह लोगों को जेल भेजा गया है। पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

क्या है मामला

बता दें कि केसट प्रखंड के विभिन्न गांवों में लगाए गए नल जल योजना के पाइप में कुछ ग्रामीणों द्वारा मोटर लगा उससे पानी टंकी को भरा जाता है। लोगों द्वारा पूर्व में इसकी शिकायत बीडीओ से की गई थी। तब बीडीओ ने पीएचडी के जेई को जांच करने का निर्देश दिया था। लेकिन जेई इस निर्देश पर कुंडली मार बैठे थे। 24 मई के अपने अंक में केशव टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए बीडीओ खुद जांच करने गए।

क्या कहते हैं बीडीओ: जांच के दौरान 10 घरों में पाइप में मोटर लगने की पुष्टि हुई है। उन्हें तत्काल मोटर हटाने को कहा गया। जेई को फिर से जांच का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि के बाद मोटर लगाने वालों पर एफआईआर कराया जाएगा।

एक नजर

रोहिणी के पहले दिन हुई बारिश, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत, किसानों के खिले चेहरे



बक्सर। शुक्रवार को जिले के विभिन्न इलाकों में हल्की से झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को जहां भीषण गर्मी से निजात मिल गया वहीं किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि वह बारिश रोहिणी नक्षत्र के शुरू होने के बाद हुई है। किसानों की मानें तो रोहिणी नक्षत्र की बारिश खरीफ खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। इस नक्षत्र को खरीफ खेती के बीजारोपण वाला नक्षत्र माना जाता है। किसानों का कहना है कि इस नक्षत्र में बारिश होने से खरीफ फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। शुक्रवार को सुबह से ही मौसम का यू टर्न जारी था। सुबह में आसमान काले-काले बादलों से घिर गया था। हालांकि दोपहर में कुछ घंटों के लिए चटक धूप भी निकली थी। लेकिन शाम होते होते धूप के जगह फिर से बादल छाने लगे तथा बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन किसानों के उम्मीदों को जगा जरूर दिया है। बता दें कि रोहिणी नक्षत्र में ही धान का बिचड़ा डालने की शुरूआत होती है। किसान मनोज यादव, दयानाथ तिवारी आदि ने बताया कि धान की आमत खेती के लिए रोहिणी नक्षत्र में बिचड़ा डालना उपयोगी होता है। किसानों ने कहा कि इस नक्षत्र में बारिश से खरीफ खेती के साथ ही आम की फसल को भी लाभ पहुंचता है। गौरतलब है कि चर्चित किसान कवि घाघ ने अपने एक दोहे में कहा था, रोहिणी रवे, मृग तवे कुछ दिन आद्रा जाए..... यानि रोहिणी नक्षत्र की बारिश धान की खेती के लिए विशेष लाभदायी होती है। यही कारण है कि बारिश होते ही किसानों के चेहरे पर खुशी बढ गई थी। हालांकि इस बारिश का जनजीवन पर कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। गर्मी से निजात मिलने से लोगों को राहत जरूर मिली। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लोग उमश भरी गर्मी तथा तलख धूप से खासे परेशान थे। वहीं बारिश होने से थोड़े देर के लिए ही सही गर्मी से राहत जरूर मिल गई।

पर्यावरण के लिए जीवनशैली के तहत कराया गया योग, लोगों को स्वस्थ रहने की मिली सीख



चौगाई। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण के लिए जीवन शैली के तहत शुक्रवार को चौगाई के मध्य एवं प्लस टू उच्च विद्यालयों में युवक एवं युवतियों को योग के विभिन्न आसनों को सिखाया गया। वहीं साइकिल रैली निकाल लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र, बक्सर एवं नेहरू युवा विकास समिति, दुमराव के संयोजन से किया गया था। योग शिक्षक के रूप में डॉ संजय कुमार सिंह एवं सुधीर कुमार रहे। योग के तहत ध्यान, सूर्य नमस्कार, तितली आसन, अनुलोम-विलोम, तड़सन, वृक्षासन आदि सिखाया गया। डॉ संजय सिंह ने मिशन जीवन के तहत बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़, एक घंटा योग और संतुलित भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 26 मई को पहला दिन दुमरांव में योग कराया गया आज दूसरा दिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा प्लस टू उच्च विद्यालय चौगाई में कराया गया। उन्होंने कहा कि योग करे, निरोग रहे यही हमारा धीम है। मौके पर सुधीर कुमार, कृष्ण कांत ओझा, प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सिंह, अवधेश किशन पांडे, आदित्य कुमार आदित्य के अलावा कांति कुमारी, सोना, मोनी कुमारी, प्रिया कुमारी, संतोषी कुमारी, नेहा कुमारी, सोनी कुमारी, महेश कुमार, मनीष कुमार, अंजु कुमारी, संगीता कुमारी, स्मृति कुमारी, सुशील कुमारी सहित अनेकों छात्र एवं छात्राएं मौजूद होकर योग सीखा।

डॉ मनोज पांडेय को बक्सर जिला कांग्रेस कमिटी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर जताई खुशी

दुमरांव। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वकील यादव ने डा मनोज कुमार पांडेय को बक्सर जिला कांग्रेस कमिटी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर शीघ्र नेतृत्व को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि श्री पांडेय पुराने कांग्रेसी है तथा उनके नेतृत्व में पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस संगठन के इस निर्णय पर खुशी जताया है और उम्मीद व्यक्त किया है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिले में अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगी। श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जिलाध्यक्ष के रूप में ऐसे ही उज्ज्वल कार्यकर्ता की जरूरत है। उन्हें जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।



भागवत गीता

मृत्यु के बाद आपके कर्म तय करते हैं अगला जन्म, जाने आप क्या बनेंगे।

वीकेड ऑपरेशन : जिला प्रशासन ने 13 रिहायशी मकानों पर चलाया बुल्डोजर

केटी न्यूज/गाजीपुर

जिला प्रशासन का वीकेड ऑपरेशन बुल्डोजर के तहत 16 रिहायशी आवास पर बुल्डोजर चलाया गया। शुक्रवार को 13 रिहायशी आवास को गिराया गया। जबकि पांच माह पहले तीन मकान पर पहले ही जिला प्रशासन द्वारा बुल्डोजर चलाया गया था और बाकी बचे रिहायशी आवास को स्वतः खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन पांच माह बीत जाने के बाद अवैध अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया। इसी क्रम में आज बचे 13 रिहायशी मकान पर बुल्डोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया। दरअसल सदर कोतवाली इलाके के मीरनपुर सक्का में हाईकोर्ट ने चक्रोड के



रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गये 16 रिहायशी मकान को खाली कराने का जिला प्रशासन को आदेश दिया था। इसी क्रम में आज 13 रिहायशी मकान पर जिला प्रशासन द्वारा बुल्डोजर चलाकर खाली कराया गया। ये कार्रवाई एसडीएम सदर

और तहसीलदार के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ किया गया था।

मीरनपुर सक्का गांव के नक्शे में मौजूद रास्ते पर 16 रिहायशी आवास का निर्माण कराया गया था। इन 16 घरों में कुछ ऐसा घर भी था। जिसमें चार पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। आज हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा रास्ते को लेकर 13 रिहायशी घरों पर बुल्डोजर चलाकर आज अतिक्रमण हटवाया गया। इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा यहां पर पांच माह पहले तीन रिहायशी मकान पर बुल्डोजर चलाकर बाकी बचे 13 रिहायशी मकान के मालिकों को स्वतः अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन पांच माह बाद भी जब अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया, तो आज उन बचे 13 रिहायशी

मकान पर बुल्डोजर चलाकर अतिक्रमण खाली कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में 16 रिहायशी मकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया गया है। इसके क्रम में आज डिमोलिशन का कार्य किया जा रहा है। पांच माह पहले तीन आवास के खिलाफ डिमोलिशन का कार्य किया जा चुका है। बाकी अन्य बचे 13 के खिलाफ डिमोलिशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं मीडिया ने सवाल किया कि इसमें कुछ गरीबों का भी मकान ध्वस्त हो गया है। इस सवाल पर कहा कि सभी के पास खेत और मकान है अगर जिनके पास कुछ नहीं है, उनको पट्टा कर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

एक नजर

20 जून तक ग्रीष्मकालीन चित्रकला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

बलिया। राज्य ललित कला अकादमी उग्र लखनऊ की ओर से ग्रीष्मकालीन चित्रकला प्रशिक्षण कार्यशाला प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज बलिया के सभागार में चल रहा है। इस चित्रकला कार्यशाला में 10 वर्ष से 25 वर्ष तक के छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण 20 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण के पश्चात राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला के संयोजक डॉ. इंदरेश खान ने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम दिन बच्चों को ड्राइंग का सिद्धांत के अंतर्गत किसी वस्तु को किस तरह से ड्राइंग शीट पर निरूपित करते हैं तथा ड्राइंग एवं स्केच पूर्ण होने के बाद किस प्रकार उसमें कलर भरते हैं के टिप्स दिया गया और अभ्यास कराया गया। इस प्रशिक्षण में विशेष रूप से कक्षा 10 एवं 12 तथा बीएफए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। हर्ष मिश्रा, नव्या सिंह, याशिका तिवारी, अनन्या सिंह, रखाहिश, एमन खान, आदित्य सिंह, विधि प्रताप सिंह, अंश यादव, मौसम कुमार, आदित्य यादव, अभिजन चौबे, आलिया विश्वकर्मा, उत्कर्ष शर्मा, साक्षी, सोनाक्षी, अर्पिता प्रकाश गुप्ता, अरुनी प्रकाश गुप्ता, अद्वित आनंद, आर्य मिश्रा, जान्हवी वर्मा, श्रेयसी कुमार वर्मा, सिद्धी वर्मा, उत्सव प्रताप सिंह इत्यादि छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण लिया।



वार्षिक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन, 110 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया

गाजीपुर। मरहद ब्लाक के मां फुलिया देवी महिला महाविद्यालय जुगनू नगर मामपुर के परिसर में गत वर्षों की भांति वार्षिक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें दर्जनों शिक्षण संस्थानों के 110 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। इसके परीक्षा फल घोषित होने पर होनहार छात्र-छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में विसेन इंटर कॉलेज की छात्रा विनिता यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चन्द्रशेखर शक्तिपीठ इंटर कॉलेज की छात्रा काजल कुशवाहा द्वितीय स्थान प्राप्त की। नेशनल इंटर कॉलेज की छात्रा खुशबू मौयां तृतीय स्थान पर रही। जिन्हें साईकलिंग, मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में गुडिया यादव, छाया कुमारी, अमृता यादव, सितारा प्रजापति, मनिषा प्रजापति, निकहत परवीन, तेहनियत फातिमा, खुशी वर्मा, रीतु यादव, अंजली राय, खुशबू यादव, अर्चना यादव, खुशबू राजभर, महिमा प्रजापति, श्रेया प्रधान सहित सभी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शिवशंकर गिरी, रविंद्र राय, दिनेश वर्मा, रामजी सिंह, तेज बहादुर यादव, गुरु शर्मा, अरुण, घनश्याम यादव, कबील यादव, सुनील राय, नरेंद्रनाथ सिंह, सुबच्चन, दिनेश यादव, अजय चौहान, वीरेंद्र यादव, दयाशंकर यादव, गोरालाल शर्मा, जयराम यादव, वृजेश यादव, राजेंद्र, रामकेवल, श्याम जी, शशीकांत चौरसिया, विजय शंकर यादव आदि मौजूद रहे। अंत में महाविद्यालय के प्रबंधक रामनिवास यादव ने सभी आगंतुकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रतियोगिता में सफल छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मार्गदर्शन के साथ-साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।



सविदा विद्युत कर्मी की करंट से मौत

गाजीपुर। रेवतीपुर व नगर हॉल्ट थाने के डोहरा गांव के समीप शुक्रवार की सुबह हाईटेशन विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन बना रहे एक सविदा कर्मी दिवेश पांडेय (23) निवासी नवली थाना रेवतीपुर की अचानक विद्युत प्रवाह होने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौत की सूचना लोगों ने परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी राधा व मां राजकुमारी का रो-रोकर बुरा हाल था। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन आनन-फानन में वाहन से घटना स्थल पर रोते बिलखते हुए पहुंच गए। घटना की सूचना परिजनों एवं ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही घटना की छानबीन में जुट गई। उपर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता व परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। मृतक के पिता विरजू पांडेय ने बताया कि उनका पुत्र दिवेश पांडेय नवली गांव स्थित विद्युत सब-स्टेशन पर कांकी किन से सविदा के पद पर कार्यरत था। शुक्रवार को करीब साढ़े ग्यारह बजे वह शड डाउन लेकर डोहरा के पास पोल पर विद्युत तार ठीक करने लगा। पिता ने बताया कि इसी दौरान अचानक विद्युत तार में करंट प्रवाहित होने से उसके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बताया कि उनका पुत्र अपने दो भाइयों में बड़ा था। उसकी शादी कुछ वर्ष पहले कुकुटा बक्सर बिहार में राधा से हुई थी। उसे छह माह की एक नवजात पुत्री भी है।



गांव के विकास के लिए ग्राम चौपाल में सुनी जा रही है ग्रामीणों की समस्याएं

गाजीपुर। मरहद गांवों के विकास को गति देने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गांव की चौपाल में स्थानीय अधिकारियों व जमप्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा, ताकि वहां की वास्तविक समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जा सके। ब्लाक के नसरतपुर गांव में शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाया गया जिसमें खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि गांवों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है। राज्य के विकास इंजन के रूप में गांवों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। जिसका असर धरातल पर जल्द दिखाई देगा। ग्राम चौपाल इसी श्रृंखला का हिस्सा है। सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पहल कर रही है। साथ ही, ग्राम पंचायत रोशनी, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, जल निकासी चैनल, सड़क, लिंक रोड, विद्यालय भवन, विद्यालय संचालन, एमडीएम, सिंचाई व्यवस्था (नहर/नलकूप), संचारी रोग, टीकाकरण, चौपाल में राशन वितरण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर में नल से जलापूर्ति, आंगनवाड़ी व एएनएम केंद्रों का निरीक्षण, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन व छात्रवृत्ति का सत्यापन भी किया गया। ग्राम चौपाल में छह मौपाल में छह लोगों के निस्तारण के लिए विधिक कार्यवाही की गई। इस मौके पर एडीओ पंचायत नवीन कुमार सिंह, सचिव राजेंद्र यादव, प्रधान शौला देवी, तारकेश्वर राम, शिवशंकर यादव, उमाशंकर यादव आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में गुलाल सराय गांव में आयोजित ग्राम चौपाल में दस लोगों ने दस समस्याएं दर्ज कराईं जिसके निस्तारण के लिए कार्रवाई तय की गई।

पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

बलिया। रतसड़-खेजुरी मार्ग पर स्थित गड़वार थाना क्षेत्र के डीएस स्कूल के समीप एक अनिर्घटित पिकअप बाइक सवार युवक को चपेट में ले ली। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गयी, जबकि उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही युवक के घर कोहराम मच गया। पकड़ी थाना क्षेत्र के पुरा गांव निवासी 18 वर्षीय आकाश सिंह पुत्र अक्षयलाल सिंह अपने साथी राहुल सिंह पुत्र रमेश सिंह के साथ खेजुरी थाना क्षेत्र के रक्सा गांव स्थित अपनी रिस्तेदारी में जा रहा था। अभी ये लोग डीएस स्कूल के पास पहुंचे थे, तभी रतसड़ की तरफ से आ रही पिकअप ने पीछे से इनकी बाइक में टक्कर मार दी। तेज टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आस-पास के लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान आकाश सिंह की सांसे थम गयी। जिसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। जिसके बाद आकाश के परिजन आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे। जहां बेटे की मौत के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी वाद के तथ्यों पर ही तय होगी

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 14 जुलाई को दोनों पक्ष से जमा कराई गई लिखित प्रतियां

एजेसी/वाराणसी

ज्ञानवापी के वजुस्थल को छोड़कर पूरे परिसर के सर्वे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। दलीलें सुनने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों से लिखित प्रति लीं और सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख दी। इससे पहले न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया की कोर्ट में याचियों की ओर से बहस में कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वरिंश एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद सुनने योग्य नहीं है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट में हिंदू पक्ष का कहना था कि भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू भगवान हैं। वह मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त हैं, मूर्ति स्वयंभू प्राकृतिक है। सुप्रीम कोर्ट के एम सिद्धी की बगम महल सुरेश दास व अन्य केस के फैसले का हवाला दिया था। बताया कि प्लेसेस ऑफ वरिंश एक्ट की धारा 4 इस मामले में लागू नहीं होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी वाद के तथ्यों पर ही तय होगी। प्लेसेस ऑफ वरिंश एक्ट 1991 की धारा 4 पर बहस : हाईकोर्ट में पिछले दिनों याचियों की तरफ से बहस की गई थी कि प्लेसेस ऑफ वरिंश एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद सुनने योग्य



■ अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में दी जा सकती है चुनौती

होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी वाद के तथ्यों पर ही तय होगी। प्लेसेस ऑफ वरिंश एक्ट 1991 की धारा 4 पर बहस : हाईकोर्ट में पिछले दिनों याचियों की तरफ से बहस की गई थी कि प्लेसेस ऑफ वरिंश एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद सुनने योग्य

नहीं है। स्थापित कानून है कि कोई आदेश पारित हुआ है और अन्य विधिक उपचार उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में चुनौती दी जा सकती है। हिन्दूपक्ष ने कहा कि मूर्ति स्वयंभू प्राकृतिक है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वरिंश एक्ट की धारा 4 इस मामले में लागू नहीं होगी। कहना था कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की अर्जी वाद के तथ्यों पर ही तय होगी। सिविल वाद में लिखा है कि स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर सप्तयुग से है।

15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में लगातार निर्वाह रूप से वहां पूजा की जा रही है। 28 नवंबर 2022 से सुरक्षित है फैसला : ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने संबंधी वाराणसी की अदालत के आदेश तथा सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर फैसला विगत वर्ष से सुरक्षित है। शुरू में न्यायमूर्ति अजीत कुमार फिर न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया की पीठ ने इसकी सुनवाई की। विचाराधीन

याचिकाओं पर 28 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। वादियों के अनुसार केस में 20 से अधिक सुनवाई के समेत जिरह हो चुकी है। आज भी कई मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए फिर से सुनवाई होगी और दोनों पक्ष को तलब किया गया है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि मुगल औरंगजेब क्रूर नहीं था। उसने ना ही वाराणसी के किसी भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा था। औरंगजेब के आदेश पर किसी मंदिर को तोड़े जाने का कोई साक्ष्य नहीं दिखाया गया। वाराणसी में दो काशी विश्वनाथ मंदिरों (पुराने और नए) की कोई अवधारणा नहीं थी। घटनास्थल पर जो दांचा या भवन मौजूद है, मस्जिद आलमगिरी व ज्ञानवापी मस्जिद वहां हजारों साल से है। कल भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है। वाराणसी और आस-पास के जिलों के मुसलमान बिना बहिंश के नमाज पंजगाना और नमाज जुमा और नमाज ईद अदा कर रहे हैं।

सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

केटी न्यूज/बलिया

सड़क दुर्घटना में घायल युवक को 5 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन बीएचयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत का समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। युवक की शादी महज 3 माह पूर्व विगत फरवरी महीने में हुई थी। युवक का शव बृहस्पतिवार की रात 11:00 बजे पैतृक निवास स्थान मनिंयर चांड़ पाकड़ में पहुंचा। अगले दिन शुक्रवार को सांत्वना देने वालों का ताता लगा रहा।

घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि रिशेरा पटेल 24 वर्ष पुत्र मुन्ना पटेल निवासी वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चांड़ पाकड़ मनिंयर, थाना मनिंयर जनपद बलिया विगत शनिवार की रात करीब 10:00 बजे बरात करने जाते समय बॉसडिह

कोतवाली थाना क्षेत्र के नारायणपुर चट्टी के पास बाइक के पेड़ से टकराने की वजह से घायल हो गया था। परिजन उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल के बाद उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया लेकिन कुछ दिनों तक परिजन मऊ में इलाज कराए। हालत में सुधार न होने पर बीएचयू लेकर गए लेकिन उसकी मौत बृहस्पतिवार के दिन हो गयी। मौत का समाचार सुनते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। पत्नी सोनी देवी 21वर्ष, मां मंजू देवी, बहन आरती एवं पूजा, भाई अरुण पटेल, सूरज, शनि, पिता मुन्ना पटेल की रो-रोकर हालत खराब है। पत्नी सोनी कहकर रो रही है कि डॉक्टर नहीं रहा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। मृतक मेडिकल की दुकान चलाता था। वहीं मां रोते-रोते बेहोश हो जा रही थी।

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत

बलिया। जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रोते-रोते बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार बसंतपुर गांव निवासी प्रद्युम्न साहनी 18वर्ष पुर बसंत साहनी गुरुवार की देरशा म बारिश खत्म होने के बाद टहलने के लिए गया हुआ था। इसी बीच तेज कड़क के साथ आकाशीय बिजली उस पर गिर पड़ी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के जिला अस्पताल भेज दिया। इधर, युवक के मौत की खबर सुनने के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया।

सभी बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में वोटर आईडी को आधारकार्ड से जोड़ें: एसडीएम

केटी न्यूज/गाजीपुर

आगामी लोकसभा उप चुनाव के मद्देनजर लोदीपुर मोहल्ला स्थित बुद्ध-शरणम महाविद्यालय के परिसर में बीएलओ को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन से संबंधी जानकारी तहसील के कर्मचारी राहुल कुमार ने दी।

बीएलओ प्रशिक्षण में एसडीएम हर्षिता तिवारी ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को आधारकार्ड से जोड़ने के लिए तैयारी कर लें। उन्होंने अभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि बीएलओ को समय से आधार कार्ड उपलब्ध कराए ताकि मतदाता पहचान पत्र दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने इस क्रम में मतदाता सूची से नाम हटाने, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने,



मतदाताओं को अपने कार्ड के प्रति जिम्मेदारी सहित कई बिन्दुओं पर जानकारी दी। तहसीलदार रामजी ने अपने संबोधन में कहा कि संभावित लोकसभा के उप चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए आधारकार्ड से मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अपना- अपना

सहयोग करें। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कमलावती देवी, खंड शिक्षाधिकारी सहित राहुल कुमार आदि के साथ रजिना बेगम, छाया देवी, नर्गिस बानो, रेणुमा बानो, रुकशदा, मुन्नी देवी आदि सहित आंगनवाड़ी बीएलओ शिक्षक, लेखपाल मौजूद रहे।

बारिश के बावजूद बलिया जिलाधिकारी ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर का किया निरीक्षण

बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम करेगी विश्वविद्यालय का मुआयना

केटी न्यूज/बलियारा

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य बारिश से विश्वविद्यालय में होने वाली परेशानियों के विषय में जानकारी हासिल करना था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीत कुमार गुप्ता ने जिलाधिकारी को बताया कि बारिश के समय विश्वविद्यालय परिसर में पानी भर जाता है। इसके संबंध में जिलाधिकारी ने कुलपति को बताया कि सिंचाई विभाग बाढ़ खंड की टीम कल



विश्वविद्यालय का मौका मुआयना करेगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग की टीम को निर्देश दिया कि जलभराव

की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करें। जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय

के एकडेमिक कक्षाओं और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया और वहां पर चल रहे पाठ्यक्रमों के विषय में कुलपति से जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी ने कुलपति को भरोसा दिलाया कि प्रशासन की तरफ से विश्वविद्यालय को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे कि बाढ़ के समय विश्वविद्यालय में पठन-पाठन के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय जाने वाले मार्ग पर भरतपुरा में नाले पर निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के

एक्सपर्ट देवेन्द्र वर्मा को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द पुलिया निर्माण का कार्य पूरा किया जाए जिससे कि बारिश के समय आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। सफाई की व्यवस्था ठीक ना पाए जाने पर जलई नाराजगी : जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बसंतपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ना पाए जाने पर कड़ी नजर नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमओ डॉ. जयंत कुमार को निर्देश दिया स्वास्थ्य केंद्र

की उचित देखभाल के साथ साफ सफाई व्यवस्था रखी जाए। जिलाधिकारी ने इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के सभी कक्षों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट कक्ष के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टॉक में रखी हुई दवायों के संबंध में जानकारी हासिल की। उपस्थित रजिस्टर का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने पाया कई कर्मचारी अनुपस्थित है और कुछ हस्ताक्षर कर के केंद्र से गायब है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश सीएमओ को दिया।